पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404
दूरभाष: 01334-244282, फैक्स: 244282
वैबसाइट:ukpsc.gov.in

संख्याः 610 / 32 / ई0–1 / डी0पी0सी0 / 2017–18 दिनांकः 11 जनवरी, 2018

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सिंचाई विभाग (अनुभाग–1),
देहरादून।

विषयः– श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः 2092 / ।।(1)–2017–1(29)(18) / 2011–13, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 09.05.2012 के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, सहायक अभियन्ता (सिविल) को चयन वर्ष 2009–10 के सापेक्ष उनके कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति तिथि दिनांक 14.05.2010 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर **चयन समिति की बैठक दिनॉक 15.01.2017 को पूर्वाह्न 11:30 बजे, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।** प्रश्नगत प्रकरण में विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक से पूर्व निम्न सूचना / अभिलेख अपेक्षित हैं :–

(1) शासन के पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के बिन्दु सं0–5 में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय से कनिष्ठ कार्मिक श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी की पदोन्नति चयन वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के सापेक्ष आयोग के पत्र दिनांक 23.04.2010 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में दिनांक 14.05.2010 को होने का उल्लेख किया गया है। जबकि आयोग के पत्र दिनांक 23.04.2010 में श्री महेन्द्र सिंह नागरकोटी की पदोन्नति चयन वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के सापेक्ष की गयी है। अतः चयन वर्ष के सम्बन्ध में शासन से स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

3– अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

यह भी उल्लेख करना है कि पात्र कार्मिक के सेवा अभिलेख, यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दिनॉक 12.01.2018 को उपलब्ध कराये जाने आवश्यक है। विभाग के विज्ञ अधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण एवं मिलान कराने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

क्रमशः.....2

अतः अनुरोध है कि कृपया नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 15 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न 11.30 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना अधोहस्ताक्षरी को ***फैक्स संख्या (01334—244282)*** एवं ई मेल—**examoneukpsc@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।

संख्याः 510 /32/ई0—1/डी०पी०सी०/2017—18 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः— प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।